न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 33/2016

शिखा कुमारी बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी शिखा कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0, सहरसा के वाद संख्या– 30/2012–13 में पारित आदेश दिनांक– 08.09.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया था। सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 2354 दिनांक– 17.05.2013 के आलोक में यह वाद उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल को हस्तानान्तरित किया गया। पुनः समाज कल्याण विभाग के पत्रांक– 3226 दिनांक– 1.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका– 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्राप्त हुआ हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि आवेदिका चित्रगुप्त नगर वार्ड नं0–28 सहरसा में आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–55 पर आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थी। सरकारी नियमानुसार प्रतिदिन केन्द्र का संचालन करती थी। दिनांक– 20.03.2012 अन्य दिनों की भांति आवेदिका अपने आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–55 पर कार्यरत थी। केन्द्र की सेविका अवकाश में थी, जिस कारण आवेदिका केन्द्र को बन्द कर अगल–बगल के बच्चे को बुलाने के लिए बच्चे के घर पर थी। महिला पर्यवेक्षिका, सहरसा द्वारा समय 11.40 बजे केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान आवेदिका को केन्द्र से अनुपस्थित पाया गया और निरीक्षण के क्रम में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन में (1) आंगनवाड़ी सेविका अवकाश में थी एवं सहायिका केन्द्र कार्य से अनुपस्थित थी, (2) आंगनवाड़ी केन्द्र पूर्णतः बंद था, (3) बच्चों की संख्या शून्य पायी गयी, अनियमितता पायी गयी। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका को चयनमुक्त करने की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा से की गयी। महिला पर्यवेक्षिका के प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा ने दिनांक– 28.06.2012 को नोटिस निर्गत किया गया। आवेदिका ने दिनांक– 10.07.2012 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किये। दिनांक– 08.09.2012 को आवेदिका के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किए हुए दिनांक– 08.09.2012 को आवेदिका को सहायिका के पद से चयनमुक्त करने का आदेश पारित किए, जो आदेश कानुन के प्रतिकुल है और मूल आदेश दिनांक– 08.09.2012 के विरूद्ध आवेदिका ने यह अपील दाखिल किया हैं।

आवेदिका ने आगे कहा है कि दिनांक– 20.03.2012 को आंगनवाड़ी केन्द्र के निरीक्षण हेतु जॉच प्रपत्र के अवलोकन से हीं स्पष्ट परिलक्षित होगा कि प्रपत्र में कुल 18 कॉलम दिया गया है, लेकिन महिला पर्यवेक्षिका, सहरसा के द्वारा कुछ कॉलम को हीं भरा गया है, जिस पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के समय विचार नहीं किया गया। दिनांक– 20.03.2012 को समय 11.40 बजे आंगनवाड़ी केन्द्र के निरीक्षण में महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा जो जांच प्रतिवेदन दिया गया वह प्रतिवेदन पार्वती कुमारी एवं महिला पर्यपेक्षिका के मिली–भगत से षड़यंत्र के तहत तैयार किया गया प्रतीत होता हैं। जॉच प्रतिवेदन में केन्द्र को बंद बंद रहने की बात लिखी है। केन्द्र बन्द था तो दिनांक– 20.03.2012 को बच्चों की उपस्थिति पंजी में 35 बच्चों की उपस्थिति उस दिन कैसे दर्ज है, साथ हीं पोषाहार भण्डार पंजी में 40 बच्चों को पोषाहार देने की बात कैसे दर्ज हुई। दिनांक– 20.03.2012 से 29.03.2012 तक अवकाश में थी

9.3.17

तथा उपस्थिति पंजी पर भी अवकाश दर्शाती है, तो फिर उक्त अवधि में थी तो पोषाहार भंडार पंजी पर उसके हस्ताक्षर कैसे दर्ज हुआ, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। दिनांक– 10.07.2012 को आवेदिका ने अपने स्पष्टीकरण में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को समर्पित स्पष्टीकरण में जिसमें केन्द्र का मूल पंजी एवं पोषहार को सुरक्षित रखने हेतु केन्द्र में ताला लगाकर अपने पोषक क्षेत्र से बच्चों को बुलाने की बात लिखी है ओर इस संबंध में आवेदिका का कहना है कि आवेदिका नियमतः प्रतिदिन समय पर अपना केन्द्र खोलती है। दिनांक– 20.03.2012 को भी नियत समय पर केन्द्र खोला, किन्तु बच्चों के केन्द्र पर नहीं आने के कारण एवं अकेले रहने के कारण केन्द्र को साफ सफाई किया एवं बच्चों को बुलाने उनके घर गयी। बच्चों का घर दुर रहने के कारण केन्द्र पर आने में थोड़ी देर हो गयी थी, इसी क्रम में महिला पयवेक्षिका द्वारा जॉच किया गया। पर्यवेक्षिका के जाने के बाद मैं बच्चों को लेकर केन्द्र पर आई और विधिवत केन्द्र का संचालन किया कुछ देर बाद जब मैं बच्चों को पोषाहार खिला रही थी, उसी क्रम में सेविका पार्वती कुमारी अचानक केन्द्र पर मौजूद हुई और आंगनवाड़ी से संबंधित सभी पंजी को उलट–पुलट करने लगी और पोषाहार भण्डार पंजी को निकाल कर दिनांक– 20.03.2012 को पंजी का कॉलम पूर्णकर अपना हस्ताक्षर कर दी, जबकि वह अवकाश में थी। अगर केन्द्र बन्द रहता तो सेविका पार्वती कुमारी पोषाहार पंजी पर अपना हस्ताक्षर कैसे करती। क्योंकि भण्डार पंजी केन्द्र पर था, और केन्द्र की चाभी आवेदिका के पास थी, जिसका उल्लेख स्पष्टीकरण में भी किया गया है। श्री मुकेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक– 05.07.2011 एवं 21.07.2011 को अपने आवेदन में सेविका पार्वती कुमारी पर आरोप लगाया था कि इसकी नियुक्ति आंगनवाड़ी सेविका के पद पर कैसे हुई और सेविका पार्वती कुमारी के द्वारा सहरसा थाना काण्ड संख्या– 109/11 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त शंकर शर्मा का जमानत आवेदन संख्या– 246/11 एवं 394/11 में दिनांक– 28.05.201 एवं 13.07.2011 को विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सहरसा के द्वारा आदेश पारित कर उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया हैं। उसी आक्रोश में सेविका ने एक साजिश एवं षड़यंत्र के तहत आवेदिका को महिला पर्यवेक्षिका से मिलकर जाल प्रतिवेदन समर्पित करायी हैं।

आवेदिका ने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के नजर में खारीज योग्य है, जिसे स्थगित करते हुए आदेश पारित करने की याचना की हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

चूँकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा आवेदिका के पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण पर समीक्षा कर आदेश पारित किया गया हैं। अतः अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 435-2 / विधि, सहरसा, दिनांक–10-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

10/3/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

10.3.17